छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद भवन" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

पत्र क्र./कैश एण्ड बैंक/साख-सीमा/2018-19/221 रायपुर, दिनांक 14.01.2019

-:: साख-सीमा सुविधा प्राप्ति हेतु निविदा सूचना ::-

छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंन्तर्गत वितरित किये जाने हेतु चावल उपार्जन एवं अन्य अनुषांगिक जिन्सों को क्रय करने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिये गठित की गई राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 हेतु कुल राशि रूपए 500 करोड़ (पांच सौ करोड़ रूपए मात्र) की साख-सीमा के लिए पूर्णतः या आंशिक हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची-दो के भाग "ए" तथा "बी" में सूचीबद्ध राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों से निम्नानुसार शर्तों के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को रूपए 500.00 करोड़ (पांच सौ करोड़ रूपए मात्र) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार साख सीमा की राशि निविदा स्वीकृति के पश्चात् आवश्यकतानुसार एकमुश्त/किश्तों में राशि आहरित की जा सकेगी।
2. स्वीकृत साख-सीमा सुविधा विरूद्ध सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी। निगम द्वारा अन्य कोई गारंटी उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
3. साख-सीमा की सिक्योरिटी हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर हेतु सी. एम.आर. चावल का स्टॉक/अन्य स्टॉक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाईपोथिकेशन किया जा सकेगा।
4. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी।
5. ब्याज दर (MCLR) आधार पर ही प्रस्तुत की जावे। ब्याज दरों का प्रस्ताव वार्षिक Based पर प्रस्तुत किया जाये। ऑफर का प्रारूप निम्नानुसार होगा :-

Amount Offered (in Crore of Rs.)	Interest Rate (MCLR for one year)

6. साथ ही अनुबंध के दस्तावेज प्रारूप भी संलग्न करें।
7. निविदाकर्ता बैंक की शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।
8. साख-सीमा सुविधा की वैद्यता स्वीकृति दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु रहेगी। आवश्यकतानुसार समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी।
9. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में साख-सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

10. साख-सीमा स्वीकृति सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा। ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी।
11. जिन बैंकों के निविदा स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में निविदा में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर अनुबंध का निष्पादन 07 दिवस के भीतर करना होगा।
12. निगम का वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख-सीमा उपलब्ध कराना होगा।
13. यदि सफल निविदाकार/निविदाकारों से संपूर्ण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और न्यूनतम से अधिक ब्याज दर निविदत्त करने वाले अगले बैंकों से साख/ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में अगले बैंकों से न्यूनतम ब्याज दर के समान अथवा उसके निकट दर पर ही साख/ऋण देने की सहमति दिये जाने हेतु निगोशियेशन बैठक में प्रस्ताव रखा जावेगा।
14. बैंकों से प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

- उपरोक्त साख-सीमा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक बैंक अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द हितवाद भवन, अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर **दिनांक 08.02.2019 को दोपहर 2.00 बजे** तक छ.ग. में स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
- प्राप्त प्रस्ताव उसी **दिनांक 08.02.2019 को सायं 4.00 बजे** उपस्थित बैंक के प्रतिनिधियों के समक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, द हितवाद भवन, अवंति विहार, तेलीबांधा, रायपुर, छ.ग. में खोला जावेगा।
- निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संपर्क :-
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
दूरभाष क्रमांक - 0771-4066212, 4028547,
मोबाईल क्रमांक - 9826194463, 9981506141, 8817903369
फैक्स क्रमांक - 0771-4066214
E-mail Id- nanheadoffice@gmail.com

(बी.के. लाल)
कार्यपालन संचालक (वित्त)